न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– कमला अलारिया (आर.ए.एस.)

अपील संख्या 44/20

1. हरजीत सिंह पुत्र अवतार सिंह पोत्र लखा सिंह जाति रायसिख निवासी 7 एस एच पी डी ए तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. मंगत सिंह पुत्र अवतार सिंह पोत्र लखा सिंह जाति रायसिख निवासी 7 एस एच पी डी ए तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

––अपीलार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ़

––रेस्पोडेंट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः–

श्री भगवानदत्त शर्मा, अभिभाषक अपीलार्थीगण

पैरोकार राज

निर्णय दिनांक –02.02.2022

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलांट द्वारा यह अपील तहसीलदार सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 28.08.2020 के विरूद्ध पेश की गई है। उक्त आदेश के द्वारा तहसीलदार सूरतगढ़ ने राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 22 के तहत अपीलार्थीगण को चक 7 एस एच पी डी के मुरब्बा नम्बर 181/343 की 4.365 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए बेदखल करने एवं तावान कायम करने के आदेश दिये।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि चक 7 एस पी डी ए के पत्थर नम्बर 81/343 की 6.220 हैक्टेयर भूमि अपीलांट के पिता को 1976 से पूर्व आरजी काश्त पर आवंटित थी जिसकी राशि भी जमा करवाई जा चुकी थी। उक्त भूमि के संबंध में तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपीलांट के पिता को अतिक्रमी मानते हुए दिनांक 05.11.1985 को कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जिसके विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका संख्या 2760/1985 पेश की जिसमें अपीलांट के पिता को अतिक्रमी के स्थान पर अवैध कब्जा मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.01.1999 को निरस्त कर दिया। अपीलांट के पिता को विवादित भूमि आरजी काश्त पर आवंटित थी। अपीलांट विवादित भूमि पर बतौर अतिक्रमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 22 के तहत

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

जो कार्यवाही की है वह उचित नहीं है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

4. विद्वान पैरोकार राज ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट राजकीय भूमि पर बतौर अतिक्रमी है जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट से साबित है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 22 के तहत प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण को तलब किया, परन्तु उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। अधीनस्थ न्यायालय ने तावान कायम करने व बेदखल करने सम्बन्धी जो आदेश दिये है वह उचित है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

5. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

6. अधीनस्थ न्यायलाय ने अपीलांट को मुरब्बा नम्बर 181/343 पर अतिक्रमी मानते हुए आदेश पारित किया है जबकि पटवारी की रिपोर्ट के अनुसार मुरब्बा नम्बर 81/343 पर अतिक्रमण दर्शाया गया है। तहसीलदार द्वारा जो नोटिस जारी किये गये है उसमें भी 81/343 का हवाला दिया हुआ है। पूर्व में तहसीलदार रायसिंहनगर ने दिनांक 21.04.2003 को मुरब्बा नम्बर 81/343 पर अतिक्रमण मानते हुए आदेश पारित किया था जिसकी अपील राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष पेश होने पर दिनांक 04.11.2004 को खारिज कर दी जिसके विरूद्ध अपीलार्थीगण ने माननीय राजस्व मण्डल में अपील पेश की जो स्वीकार कर ली गई एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27.01.1999 के अनुसरण में आदेश पारित करने के आदेश दिये गये। इस प्रकार स्पष्ट है कि अपीलार्थी विवादित भूमि पर बतौर अतिक्रमी काबिज न होकर अपीलांट के पिता द्वारा सक्षम अधिकारी के समक्ष 5000/– रूपया राशि जमा करवाई थी एवं उसके आधार पर ही कब्जा काश्त चला आ रहा था। इस संबंध में अपीलांट द्वारा जिला कलैक्टर के समक्ष भी आवंटन करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया था। ऐसी स्थिति में तहसीलदार सूरतगढ ने राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 22 के तहत अतिक्रमी मानते हुए जो आदेश दिया है वह न्यायोचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार सूरतगढ़ का आदेश दिनांक 28.08.2020 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अटारिया)
अतिरिक्त कलक्टर
सूरतगढ़

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner